न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/16/2021	15.09.2021	17.06.2022

बउनवान

1–खुर्शीद पुत्र श्री जुहरू उम्र करीब 54 साल

2– सद्धाम पुत्र श्री जुहरू उम्र करीब 52 साल

3– ताहिर पुत्र जुहरू उम्र करीब 44 साल

4. मुसम्मात पहलवी बेवाह जुहरू उम्र करीब 73 साल जाति मेवान निवासीयान ग्राम बिजोपुर

अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत भण्डवाडा पंचायत समिति उमरैण तहसील अलवर जिला अलवर जरिये संरपंच ग्राम पंचायत भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर
2. एमना पत्नी श्री महताबसिंह जाति मेव उम्र करीब 70 साल निवासी ग्राम घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर

रेस्पोडन्ट
अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 187 निर्णय दिनांक 20.09.2005 ग्राम पंचायत भण्डवाडा

उपस्थिति
श्री विजय कुमार शर्मा वकील अपीलान्टस्

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि समेसिंहसहि उर्फ समयदीन, समसु पुत्रान कमला जाति मेव ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 677 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1294 रकबा 0.36 है0 1295 रकबा 0.82 है0 को जरिये इकरारनामा जुहरू पुत्र लीला उर्फ सिरदार जाति मेव निवासी बिजोपुर को बेचान कर दिया विक्रेता ने क्रेता के हक में उक्त आराजी की कई बार निवेदन करने पर भी रजिस्ट्री नही करवाई जिस पर क्रेता जुहरू ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर में दावा तकमील

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

मुहायदा बैय दायर किया जो न्यायालय द्वारा जुहरू मेव के पक्ष में दिनांक 04.09.2001 को डिक्री किया गया और दिया गया कि विक्रेतागण निर्णय की तिथि से 2 माह की अवधि में क्रेता के हक में अनुबंध में वर्णित आराजी का बयनामा निष्पादित करें किन्तु विक्रेतागण 2 माह के अन्दर क्रेता के हक में बयनामा तहरीर व तकमील नही कराया इस दौरान क्रेता डिग्रीदार का स्वर्गवास हो गया। डिग्रीदार जुहरू मेव का स्वर्गवास हो जाने के कारण न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 द्वज्ञरा यह बयनामा विक्रेतागण समेसिंह समसू की ओर से जुहरू के वारिसान मु0 पहलवी बेवाह जुहरू खुर्शीद पुत्र जुहरू सद्धाम पुत्र जुहरू व ताहिर खां पुत्र जुहरू के हक में तहरीर व तकमील दिनांक 01.11.2004 को कराया ये चारो जुहरू के वारिसान अपीलान्ट है। जिनको न्यायालय अपरजिला न्यायाधीश संख्या 2 द्वारा दिनांक 01.11.2004 को विवादित आराजी के बावत हकूक खातेदारी प्रदान किये और विक्रयशुदा आराजी का इन्तकाल हम अर्पीलान्ट के हक में मन्जूर करने का अधिकार दिया। उपरोक्त आराजी का इन्तकाल ग्राम पंचायत भण्डवाडा ने अपीलान्ट्स के पक्ष में दिनांक 20.09.2005 को इन्तकाल संख्या 187 स्वीकार किया जो कि गलत तरीके से न्यायालय जिला अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 के विरूद्ध सम्पूर्ण आराजी के केवल 2/3 हिस्से का स्वीकार किया जबकि न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त आराजी के समस्त हिस्से का इन्तकाल स्वीकार किया जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत की इसी गलती के कारण उपरोक्त आराजी के 1/3 हिस्से का अमल जमाबन्दियों में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एमना के हक में दर्ज हो गया जो आजतक बदस्तूर चला आ रहा है। जिसका उपरोक्त आराजी से किसी प्रकार का हिस्सा अधिकार व हकूक कायम नही होते है। क्योंकि रेस्पोडेंट न. 2 ने आज से करीब 45 वर्षों से भी ज्यादा समय पहले ही अपने दोनो पुत्र विक्रेतागण समेसिंह, समसू को अपने पूर्व पति कमला की मृत्यु के बाद छोटी ही उम्र में छोडकर महताबसिंह निवासी घासोली के साथ दूसरा विवाह कर घरवासा कर लिया जिससे उसके कई संताने पैदा हुई, इसलिए कानूनन रैस्पोडेन्ट न. 2 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का संबंध नही है। उपरोक्त आराजी के 1/3 हिस्से का जमाबन्दी में अमल रेस्पोडेन्ट न. 2 एमना के नाम चला आ रहा है। जो खिलाफा कानून व खिलाफ निर्णय डिक्री दिनांक 04.09.2001 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर के विरूद्ध है जो ग्राम पंचायत भण्डवाडा के गलत निर्णय के कारण हुआ है। जो काबिल खारिज है। रेस्पोडेन्ट न. 2 एमना के हिस्से 1/3 के इन्द्राज को हटाया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आज्ञा दिनांक 20.09.2005 ग्राम पंचायत भण्डवाडा नामान्तरकरण संख्या 187 को अपीलान्ट के पक्ष उपरोक्त आराजी 2/3 हिस्से का स्वीकार किया गया है, को निरस्त कर आराजी साबिक 677 हाल खसरा नम्बर 1294, 1295 के समस्त हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पेश कर मियाद में मुजरा दिया जाकर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये किन्तु कोई जवाब अभी पेश नही किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद रजिस्टर्ड तलवी उपस्थित नही आयें। हमने वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में शिथिलता देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अनुसार समेसिंह, समसू पुत्रान कमला मेव ने जुहरू पुत्र लीला उर्फ सिरदार मेव निवासी बिजोपुर को खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

साविक 677 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा समस्त का जरिये इकरारनामा विक्रय किया। इसके पश्चात विक्रेतागण का देहान्त हो गया। अपीलान्ट द्वारा मुताबिक इकरारनामा प्रश्नगत आराजी की रजिस्ट्री नही कराने पर क्रेता जुहरू ने विक्रेता के वारिसान के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर के यहां तकमील मुहायदा बय का दावा पेश किया। माननीय न्यायालय ने उक्त वाद दिनांक 04.09.2001 को डिक्री करते हुए प्रश्नगत आराजी का मुताविक अनुबंध पत्र विक्रयनामा निस्पादित करने के आदेश पारित किये। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में विक्रेता के वारिसान ने अपीलान्ट के पक्ष में विक्रयनामा निष्पादित कराया। तहत न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश पारित करते समय प्रश्नगत आराजी समस्त का इन्द्राज नही करते हुए 2/3 हिस्से का अमल कर आदेश पारित कर दिये। तहत न्यायालय द्वारा विना वयनामा अवलोकन किये एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अपना आलौच्य आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है एवं प्रथम प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलौच्य आदेश दिनांक 20.09.2005 ग्राम पंचायत भण्डवाडा बाबत् इन्तकाल संख्या 187 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मुताविक वयनामा एवं माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर के आदेश दिनांक 04.09.2001 के अनुसार आराजी साबिक खसरा नम्बर 677 हाल नम्बर 1294, 1295 वाके गाम विजोपुर समस्त का अपीलान्ट के पक्ष में पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर